RANCHI UNIVERSITY
RANCHI

Memo. No. RU/DSW/192/2019 Dated 19.09.2019

To,

The Registrar/Dean Students' Welfare
of all State Universities &
Private Universities in Jharkhand State running B.Ed. Course

Sub: Admission of Students in B.Ed. Course in the session 2019-21 on vacant seats

Ref: Letter of Higher, Technical Education & Skill Development Department, Govt. of Jharkhand, Ranchi vide memo. no. वि॰ 1–66/2019–1893 dated 13.09.2019

Madam/Sir,

I am directed to enclose the letter referred above related to admission of students in B.Ed. Course in the session 2019-21 on vacant seats in Colleges running B.Ed. Course under your University following the State Govt. reservation rules.

I am further directed to request you for complete compliances of the order contained in the above referred letter. Kindly depute one University Representative to each College of your University running B.Ed. Course for monitoring of the admission in the session 2019-21.

Here it is pertinent to mention that the students who have taken admission in B.Ed. Course in the session 2019-21 on the basis of CML Rank & Counseling by Ranchi University are not covered in this process & their names have been published in Ranchi University website.

University Representative and Principal of the concerned College will be jointly responsible for any violation of the said order.

Kindly follow the time schedule as mentioned in the advertisement published in daily news paper, which is also available on Ranchi University website-www.ranchiuniversity.ac.in.

The letter referred above has already been sent to you by Dean, Students' Welfare, Ranchi University, Ranchi and is also available on Ranchi University website.

You are requested to follow the directives mentioned in letter. After completion of admission process, all B.Ed. Course running Colleges are directed to send admission status report on E-Mail-support@admissionru.in latest by 20.10.2019. Here it is pertinent to mention that almost all Colleges will remain closed from 02.10.2019 to 10.10.2019 on the eve of Mahatma Gandhi Jayanti & Durga Puja vacation and with this in mind, the time schedule has been prepared.

Kindly follow the guidelines.

Yours faithfully

19.9.19

Registrar
Ranchi University, Ranchi

19/9/19

राँची विश्वविद्यालय
राँची

अत्यावश्यक सूचना बी॰ एड॰ नामांकन सत्र् 2019–21

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–2/वि॰ 1–66/2019–1893 दिनांक 13.09.2019 के आलोक में बी॰ एड॰ पाठ्यक्रम सत्र 2019–21 में नामांकन हेतु इच्छुक C.M.L.धारित वैसे अभ्यर्थी जिन्होने अब तक कहीं भी नामांकन नहीं लिया है, उनके मेरिट लिस्ट को वेटिंग लिस्ट (Deemed) माना गया है।

जे॰ सी॰ ई॰ सी॰ ई॰ बी॰ द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल में C.M.L रैंक धारित अभ्यर्थी जिन्होनें कहीं भी नामांकन नहीं कराया है, वे अपनी इच्छानुसार वैसे बी॰ एड॰ महाविद्यालय जहां सत्र 2019–21 में सीट रिक्त है, वहां दिनांक 26.09.2019 तक आवेदन समर्पित करेंगे। तत्पश्चात दिनांक 03.10.2019 (सात दिनों के अन्दर) तक संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा नामित प्रतिनिधि की उपस्थिति में राज्य सरकार द्वारा जारी **अद्यतन आरक्षण नियम** का पालन करते हुए नामांकन सुनिश्चित करेंगे।

अगर इसके बाद भी सीट रिक्त रह जाता है तो दिनांक 11.10.2019 से 17.10.2019 तक C.M.L. रैंक धारित प्रत्याशी किसी भी बी॰ एड॰ महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर नामांकन ले सकते हैं।

नियम का पालन नहीं होने पर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि तथा प्राचार्य दोनो संयुक्त रूप से दोषी माने जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रेषित पत्र को राँची विश्वविद्यालय के वेबसाईट– www.ranchiuniversiy.ac.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

कुलपति के आदेशानुसार
ह॰/
कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय,राँची

पत्रांक–RU/DSW/ 191 /2019 दिनांक 19.09.2019

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची
2. सचिव झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, नामकुम– तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची
3. विज्ञापन प्रभारी–प्रभात खबर, हिन्दुस्तान (हिन्दी) दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान टाईम्स को अपने दैनिक समाचार पत्र में **रू॰30000/–(रू॰ तीस हजार) प्रतिदिन** के अन्तर्गत **झारखण्ड संस्करण में लगातार तीन दिनों तक** प्रकाशन हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।
4. PA to VC/PVC/FA/R for information to VC/PVC/FA & Registrar

कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय,राँची

19/9/19

पत्रांकः 2/वि01-66/2019-....1893...

(4)

झारखंड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची -834002

प्रेषक,

निदेशक,
उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची।

राँची, दिनांक : 13.09.2019

विषयः— राज्य के बी0एड0 महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2019—21 के लिए रिक्त सीटों पर नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि राज्य के बी0एड0 महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2019—21 में नामांकन विभागीय अधिसूचना सं0—792, दिनांक 18.04.2018 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया। उक्त नामांकन प्रक्रिया समाप्ति के बावजूद कतिपय महाविद्यालयों में सीट रिक्त रह गए। उक्त रिक्त सीटों के संबंध में बी0एड0 महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों द्वारा सरकार के संज्ञान में लाई गई। उनके द्वारा बताया गया कि निजी बी0एड0 महाविद्यालय स्ववित्त पोषित है और सीट रिक्त रहने के कारण महाविद्यालय के संचालन में कठिनाई होगी। बी0एड0 महाविद्यालयों के उक्त प्रतिनिधियों के अनुरोध एवं छात्रहित को देखते हुए दिनांक 19.08.2019 को विभागीय सचिव की अध्यक्षता में राज्य के बी0एड0 महाविद्यालयों के प्रतिनिधि, राँची विश्वविद्यालय, राँची (Counselling Agency) के DSW एवं काउंसेलिंग के अध्यक्ष के साथ विचार—विमर्श हुआ एवं विचारोपरांत इस संबंध में अन्य विकल्प पर विधि विभाग से परामर्श/मंतव्य प्राप्त करने का निर्णय लिया गया क्योंकि विभागीय अधिसूचना सं0—792, दिनांक 18.04.2018 में द्वितीय काउंसलिंग का कोई प्रावधान नहीं था।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा College of Professional Education & Ors vs State of UP & Ors SLP (C) No. 013040/2010 में दिनांक 22.07.2011 को पारित न्यायादेश एवं WP(C) No. 276/2012 माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय बनाम State of UP & Ors में पारित न्यायादेश के आलोक में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा दिए गए सहमति के आलोक में रिक्त सीटों पर नामांकन हेतु निम्नांकित कार्रवाई किया जाय :—

01. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में रिक्त सीटों को भरने हेतु दिए गए मार्ग—दर्शन को ध्यान में रखते हुए जे0सी0ई0सी0ई0बी0 के द्वारा तैयार किये गये 18663 अभ्यर्थियों के मैरिट लिस्ट में से जिन अभ्यर्थियों ने नामांकन करा लिया है, उन्हें छोड़कर शेष अभ्यर्थियों के मैरिट लिस्ट को Waiting- list (Deemed) मानते हुए मैरिट एवं राज्य सरकार के अद्यतन नियम का आरक्षण पालन करते हुए नामांकन हेतु wait listed अभ्यर्थियों को सीधे इच्छुक बी0एड0 महाविद्यालयों में कोटिवार रिक्त सीटों के विरूद्ध मैरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन लेने की छुट दिया जाय।

कृ0पृ0उ0

Scanned by CamScanner

02. नामांकन प्रक्रिया पालन करने हेतु राज्य स्तरीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में लगातार 03 दिनों तक (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में राँची विश्वविद्यालय, राँची द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर wait listed अभ्यर्थियों को इसकी सूचना दी जा सकती है। 07 दिनों के अन्दर अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार संबंधित बी0एड0 महाविद्यालय में आवेदन CML ranking के साथ समर्पित करेंगे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्रत्येक बी0एड0 महाविद्यालय मेरिट लिस्ट के अनुसार नामांकन सूची निर्गत करते हुए इसके आधार पर अगले एक सप्ताह में नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे।

03. उपर्युक्त नामांकन प्रक्रिया के बाद भी अगर किसी अभ्यर्थी का नामांकन अपने इच्छानुसार संस्थान में नहीं हो पाता है और किसी अन्य महाविद्यालय में सीट रिक्त है तो वह एक सप्ताह के अन्दर किसी भी महाविद्यालय में नामांकन करा सकता है। इसके लिए CML ranking का अनुसरण आवश्यक नहीं होगा।

04. नामांकन प्रक्रिया के समय पारदर्शिता हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के भी प्रतिनिधि सम्मिलित रहेंगे।

05. किसी स्तर पर गड़बडी पाये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि एवं संबंधित बी0एड0 महाविद्यालय के प्राचार्य दोषी माने जायेंगे।

06. उक्त नामांकन में आरक्षण संबंधी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची द्वारा निर्गत अद्यतन संकल्प लागू होगा।

07. राँची विश्वविद्यालय, राँची (Counselling Agency) का यह दायित्व होगा कि राज्य के बी0एड0 महाविद्यालयों से नामांकन के प्रत्येक चरण की अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त कर संधारित करेंगे।

विश्वासभाजन

13.09.19

(सुशांत गौरव)
निदेशक, उच्च शिक्षा

Scanned by CamScanner